आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ

7/2/15

न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, जहानाबाद

आपूर्ति अपील वाद संख्या–59/डी0एम0/2012

रामजतन पासवान वनाम सरकार

आदेश

यह अपील वाद रामजतन पासवान, पिता–स्व0 देवकी पासवान, ग्राम–पंडुई, थाना–परसविगहा, जिला–जहानाबाद के द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–1727/2012 में दिनांक–25.07.12 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में लिमिटेशन एक्ट की धारा–5 के साथ अपील आवेदन दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा निम्न आदेश पारित किया गया:– "In the circumtances, the writ petition is disposed of granting liberty to the petitioner to challenge the order dated-07-10-2011, Annexure-2 by filing appeal. The appeal filed in compliance of this order be entertained after condoning the delay and considered on merit in accordance with law within a reasonable time, not exceeding two months from the date of receipt of the memo of appeal annexing a copy of this order".

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि दिनांक–11.09.09 को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, जहानाबाद के द्वारा अपीलार्थी के जन वितरण प्रणाली की दुकान की जांच की गयी थी। जांच के दरम्यान निम्नांकित अनियमितता पायी गयी :–

1. अपीलार्थी का जन वितरण प्रणाली की दुकान निर्धारित कार्य अवधि में बंद पाया गया।
2. वितरण में अनियमितता।
3. अपीलार्थी के द्वारा माह जुन 2009 से माह अगस्त , 2009 तक का राशन के उठाव हेतु बैंक ड्राफ्ट जमा नहीं किया गया।
4. कई माह से अपीलार्थी (विक्रेता) के द्वारा राशन–किरासन का वितरण उपभोक्ताओं को नहीं किया जाना।
5. अपीलार्थी (विक्रेता) को जन वितरण प्रणाली दुकान चलाने में रूचि नही रहना।

उपरोक्त अधिरोपित आरोप के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद नें पत्रांक–297/आ0, दिनांक–05.10.09 से कारण पृच्छा की मांग की गयी। अपीलार्थी (विक्रेता) के द्वारा दिनांक–22.04.10 को कारण पृच्छा का जवाब दाखिल किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद नें पत्रांक–1368, दिनांक–19.10.2010 के द्वारा अपीलार्थी के आवंटन को स्थगित कर दिया गया। पुनः अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद के द्वारा पत्रांक–797/आ0, दिनांक–13.08.2011 से कारण पृच्छा की मांग की गयी। अपीलार्थी (विक्रेता) के द्वारा कारण पृच्छा का जवाब दाखिल किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद के द्वारा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के प्रतिवेदन पर कारण पृच्छा की मांग की गयी। अपीलार्थी (विक्रेता) के द्वारा कारण पृच्छा का जवाब सभी आरोपों को इन्कार करते हुए दाखिल किया। अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद के द्वारा कारण पृच्छा पर बिना विचार किये दिनांक–07.10.11 को आदेश पारित कर दिया गया। अपीलार्थी (विक्रेता) का कहना है

9